विवरण

दी कोआपरेटिव स्टोर्स लि०, सुपर बाजार

क्रम सं०	शाखा का नाम	नवीकरण की तारीख	व्यय की गई राशि
1.	दीन दयाल अस्पताल	जून, 1993	रु० 30,000.00
2.	भविष्य निधि	फरवरी, 1993	रु० 20,690.00
3.	एन०सी०ई०आर०टी०	फरवरी, 1993	रु० 53,216.00
4.	शादीपुर	मार्च, 1993	रु० 18,483.00
5.	ए.आई.आई.एम.एस.	मार्च, 1993	रु०1,10,000.00
6.	बी–1 जनकपुरी	मई, 1993	रु० 42,000.00
7.	दक्षिणपुरी	मई, 1993	रु० 53,918.00
8.	आई.एन.ए.	सितम्बर, 1993	रु० 78,529.00
9.	जामिया मिलिया	सितम्बर, 1993	रु० 13,667.00
10.	एम एम टी सी	सितम्बर, 1993	रु० 68,000.00
11.	ईस्ट आफ कैलाश, "सी" ब्लाक	नवम्बर, 1993	रु० 78,000.00
12.	यशवन्त प्लेस	दिसम्बर, 1993	रु० 1,12,000.00
13.	आर. पी. मार्किट पीतमपुरा	दिसम्बर, 1993	रु० 30,987.00
14.	एलएनजेपी औषध यूनिट	दिसम्बर, 1993	रु० 95,000.00
15.	नौयडा औषध यूनिट	दिसम्बर, 1993	रु० 38,292.00

क्षेत्रीय श्रम आयुक्त के कार्यालय में सुपर बाजार के लंबित मामले

6219. श्री चिमनभाई हरिभाई शुक्ल : क्या नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली के क्षेत्रीय श्रम आयुक्त के कार्यालय में सुपर बाजार के कितने मामले लंबित हैं ;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान कितने मामलों में दंड दिया गया है ; और

(ग) सुपर बाजार के लंबित मामलों के निपटानार्थ उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है ?

नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के क्षेत्रीय श्रम आयुक्त के सुलह अधिकारी के समक्ष औद्योगिक विवादों के सात मामले अनिर्णीत पड़े हैं जिनका ब्यौरा विवरण में दिया गया हैं। **(नीचे देखिये)**

(ख) श्रम आयुक्त के कार्यालय में औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1954 के तहत मामले समन्वयकारी स्वरूप के होते हैं, जिनका यदि समाधान हो जाता है तो तदनुसार निर्णय दिया जाता हैं अन्यथा उन्हें श्रम न्यायालयों/न्यायाधिकरणों को भेज दिया जाता है।

(ग) सुपर बाजार शीघ्र निर्णय के लिए मामले के बारे में न्यायालय के साथ अनुवर्ती कार्यवाही कर रहा हैं।

विवरण

क्र० सं०	मामले का शीर्षक	शुरू करने की तारीख	विषय वस्तु
1.	श्री वीर बहादुर सिंह व अन्य बनाम सी०एस०एल०	मार्च, 93	सेवाएं समाप्त करने के विरुद्ध
2.	श्री बाबू राम बनाम सीएसएल	दिसम्बर, 93	—वही—
3.	श्री एस० एन० झा बनाम सी० एस० एल०	जुलाई, 93	—वही—
4.	श्री मनमोहन बनाम सी० एस० एल०	मई, 91	समयोपरि भत्ते के लिए शिकायत कार्यवाही पूरी हो गई है और निर्देश की प्रतीक्षा है।
5.	श्री हरिहर बनाम सी०एस०एल०	अप्रैल, 92	स्टाक की कमियों पर वसूली के विरुद्ध कार्यवाही पूरी हो गई है और निर्देश की प्रतीक्षा है।
6.	श्री राजेन्द्र राय बनाम सी०एस०एल०	अगस्त, 92	स्टाक की कमियों की वसूली के विरुद्ध कार्यवाही पूरी हो गई है और निर्देश की प्रतीक्षा है।
7.	एस०बी०के०के० यूनियन के उपाध्यक्ष द्वारा दवाई कर्मचारियों के लिए समयोपरिभत्ते हेतु दायर की गई शिकायत।	अक्तूबर, 1992	समयोपरिभत्ते का दावा कार्यवाही पूरी हो गई है, निर्देश की प्रतीक्षा है।

Raionalising the size of soft drink bottles

6220. SHRI KRISHAN LAL SHAR-MA: Will the Minister of CIVIL SUP-LIES, CONSUMER AFFAIRS AND PUBLIC DISTRIBUTION be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Government had invited views from various consumer organizations on rationalising the size of bottles of aerated soft drinks at present on sale in the market;

(b) if so, the names of the organizations and the gist of views of each organization;